

उ.म.रे. के सा. एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-77, दिनांक- 16.10.2023 का राजभाषा में अनुवाद

01. नया स.नि. 3.78/5 निम्नानुसार जोड़ा जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 77)

स.नि. 3.78/5 - यदि वर्तमान सेक्शन/यार्ड में दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन और आईबीएस को जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे लोको पायलटों/सहायक लोको पायलटों के लिये, जिन्हें पहले से ही सेक्शन की रोड लर्निंग है, अलग से रोड लर्निंग की आवश्यकता नहीं है। तथापि, रनिंग स्टाफ ऐसे सेक्शन में पहली दो यात्राओं के दौरान, खुद को सेक्शन से परिचित कराने के लिए दिन के समय अधिकतम 40 किमी प्रति घंटे एवं रात में अधिकतम 15 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेन चला सकता है। सिगनलों (किलोमीटर वार, दाहिने हाँथ की तरफ/ बायें हाँथ की तरफ), ग्रेडिएंट्स, समपार फाटकों और न्यूट्रल सेक्शनों की स्थिति सावधानता आदेश के रूप में 90 दिनों के लिए प्रदान की जायेगी।

सं.- याता/सामा./संशोधन पर्ची/22/20

दिनांक : 08.11.2023

13

(शोभित भटनागर)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे।

(शोभित भटनागर)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक